कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

प्रेस कॉन्फ्रेंस दिनांक 02.04.2024

1. लोकसभा निर्वाचन – 2024 के अंतर्गत प्रथम चरण के 10–बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु कुल 17 नामांकन प्राप्त हुए थे तथा निर्वाचन लड़ने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या 11 है। इस चरण हेतु प्ररूप 7क के प्रकाशन पश्चात मतपत्रों के मुद्रण का कार्य पूर्ण हो चुका है।
2. द्वितीय चरण हेतु तीन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों 6–राजनांदगांव, 9–महासमुंद एवं 11–कांकेर में नाम निर्देशन दाखिल करने की तिथि 28 मार्च 2024 से प्रारंभ हो चुकी है। द्वितीय चरण हेतु आज नामांकन का तीसरा दिन है। अब तक द्वितीय चरण हेतु 20 अभ्यर्थियों के कुल 31 नामांकन प्राप्त हुये हैं, लोकसभा क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम	प्राप्त नामांकन	अभ्यर्थी की संख्या
1	6 राजनांदगांव	8	5
2	9 महासमुंद	14	8
3	11 कांकेर	9	7

3. प्रथम चरण हेतु बस्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रांतर्गत आठ विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली दिनांक 27 मार्च 2024 को फ्रीज की जा चुकी है। इस चरण में निर्वाचकों की कुल संख्या 14,72,207 है, जिसमें पुरूषों की संख्या 7,00,476 महिलाओं की संख्या 7,71,679 एवं तृतीय लिंग निर्वाचकों की संख्या 52 है। बस्तर लोकसभा के आठ विधानसभा क्षेत्रों की यह अंतिम प्रकाशित नामावली इस कार्यालय की वेबसाईट ceochhattisgarh.nic.in मे होस्ट की जा चुकी है। द्वितीय चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित निर्वाचक नामावली नामांकन की अंतिम तिथि 04 अप्रैल 2024 को फ्रीज की जावेगी।
4. प्रथम चरण हेतु मतदान केन्द्रो की कुल संख्या 1961 है, जिसमें 4 सहायक मतदान केन्द्र सम्मिलित है।
5. प्रथम चरण में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 12,703 है।
6. प्रथम चरण में सेवा निर्वाचकों की संख्या 1603 है जिन्हें दिनांक 31 मार्च 2024 को ePB प्रेषित किया जा चुका है। इनकी वापसी डाक के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी लो.स. निर्वाचन क्षेत्र बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में प्रत्येक दिवस 03:00 बजे होगी।

7. प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु ईवीएम मशीनों का जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर प्रथम रेण्डमाईजेशन पूर्ण किया जा चुका है, जिसमें विधानसभावार न्यूनतम 120 प्रतिशत बीयू एवं सीयू तथा 130 प्रतिशत वीवीपैट की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
8. प्रथम चरण हेतु कुल 140 वृद्धजनों (85+ आयुवर्ग) एवं 114 दिव्यांगजनों के प्रारूप 12घ में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराये जाने के आवेदन प्राप्त हुए है। इन मतदाताओं के घर–घर जाकर मतदान संबंधी कार्यवाही आगामी तिथियों में की जावेगी।
9. सीविजिल में आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की कुल 217 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें से 149 पर कार्यवाही की गई है तथा 68 शिकायतें ड्रॉप की गई है।
10. आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत राज्य में अब–तक प्रचार प्रसार संबंधी विभिन्न अनुमतियों से संबंधित कुल 287 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें 231 स्वीकृत एवं 31 निरस्त किये गये है। शेष 25 आवेदन प्रक्रियाधीन है।
11. आचार संहिता के दौरान बैनर, पोस्टर निकालने की कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है :–

बैनर	–	68,533
पोस्टर्स	–	1,10,465
वॉल राइटिंग	–	1,34,698
अन्य	–	86,908
कुल	–	**4,00,604**

12. राज्य में आचार संहिता के दौरान दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में जब्ती रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

Cohort	Quantity	Value
Cash		9.11 Cr.
Liquor	24226.08(Ltr.)	0.56 Cr.
Drugs/Narcotics	885.80(kg)	1.6 Cr
Precious Metal	24.16 (kg)	1.64 Cr
Other Seizure/Freebies		17.58 Cr
Total Seizure Value		**30.47 Cr**

––––00––––